# समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

## आदेश

वर्ष 2014-15 के रबी/गरमा मौसम में पूर्णियाँ जिला में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि तथा दिनांक 21.04.2015 को आये चक्रवाती तुफान से हुई फसल क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कृषि विभाग से प्राप्त आवंटन से प्रभावित किसानों को कृषि ईनपुट अनुदान का वितरण किया जाना है। इस संबंध में कृषि विभाग से संगत निदेश प्राप्त है एवं समाहरणालय, पूर्णियाँ (जिला कृषि कार्यालय) के पत्रांक 783 दिनांक 01.05.2015 द्वारा विहित प्रपत्र के साथ सर्वेक्षण एवं कृषि ईनपुट वितरण से संबंधित विस्तृत दिशा निदेश निर्गत हैं। जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराना विभागीय पदाधिकारी के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी का पदीय दायित्व है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि यद्यपि जिला स्तरीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण हेत प्रखंड क्षेत्र आवंटित है तथापि 1-2 पंचायतों को छोड़कर प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची (किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/सहायक प्रखंड तकनिकी प्रबंधक/प्रखंड तकनिकी प्रबंधक के स्तर से सर्वेक्षित) के जाँच/सत्यापन का कार्य नहीं किया गया है। अतः तदनुसार आदेश दिया जाता है कि कृषि विभागीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलान्तर्गत फसल क्षति का सर्वेक्षण समुचित एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हो ताकि सर्वेक्षित प्रतिवेदन में कोई भी त्रुटि न रहे। इसे सुनिश्चित करने हेतु जिलान्तर्गत कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारियों को निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्रखंड आवंटित कर आदेश दिया जाता है कि वे सत्यापन कार्य समाप्ति तक आवंटित प्रखंड क्षेत्र में कैम्प करेंगे तथा सभी पंचायत में सर्वेक्षित सूची का कम से कम 20% कृषकों का स्वयं सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

| क्र0 | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या | आवंटित प्रखंड का नाम | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री इन्द्रजीत प्रसाद सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ, मो0 - 9431818753 | पूर्णियाँ पूर्व, डगरूआ, | |
| 2 | श्री विकास कुमार, परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्णियाँ, मो0 - 9471002317 | बायसी, वैसा, अमौर | |
| 3 | श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, उद्यान, पूर्णियाँ, मो0 - 9431818952 | धमदाहा, श्रीनगर, बी0कोठी | |
| 4 | श्री सतीश कुमार, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णियाँ, मो0 - 9431645648 | रूपौली, भवानीपुर | |
| 5 | श्री हरिमोहन मिश्रा, उप परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्णियाँ, मो0 - 9430077966 | के0नगर, बनमनखी | |
| 6 | श्री अनिल जायसवाल, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, पूर्णियाँ, मो0- 9470289901 | जलालगढ़, कसबा, | |

उपरोक्त पदाधिकारी फसल क्षति सर्वेक्षण का जाँच/सत्यापन पूर्ण होने तक सघन रूप से अपने आवंटित प्रखंड एवं पंचायतों में कैम्प करेंगे तथा कम से कम 20% कृषकों के फसल क्षति प्रतिवेदन का स्वयं सत्यापन करेंगे। तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन ई-मेल के माध्यम से प्रतिदिन 7.00

बजे अप0 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि फसल क्षति प्रतिवेदन के शुद्धता के लिए उपरोक्त प्रतिनियुक्त विभागीय पदाधिकारी मूल रूप से जिम्मेवार होंगे। तथा भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर वे जिम्मेवार माने जायेंगे तथा राशि वसुली के साथ विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। जाँच/सत्यापन कार्य के उपरान्त सर्वेक्षण सूची का अंतिमिकरण किया जायेगा। तथा निर्धारित विहित प्रपत्र में सभी संबंधितों से हस्ताक्षरित कराकर प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध करायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ

ज्ञापांक 369/आ0प्र0, पूर्णियाँ, दिनांक 01.05.2015

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारियों को समाहरणालय, पूर्णियाँ (जिला कृषि कार्यालय) के पत्रांक 783 दिनांक 01.05.2015 एवं फसल क्षति सर्वेक्षण विहित प्रपत्र के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को समाहरणालय, पूर्णियाँ (जिला कृषि कार्यालय) के पत्रांक 783 दिनांक 01.05.2015 एवं फसल क्षति सर्वेक्षण विहित प्रपत्र के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि प्रभावित पंचायत के सभी मौजा में कम से कम 10% कृषकों की **Random** स्थलीय जाँच स्वयं/अधिनस्थ पर्यवेक्षकों से कराना सुनिश्चित करें। एवं विहित प्रपत्र में कृषक वार सत्यापन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध करावें।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को समाहरणालय, पूर्णियाँ (जिला कृषि कार्यालय) के पत्रांक 783 दिनांक 01.05.2015 एवं फसल क्षति सर्वेक्षण विहित प्रपत्र के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे स्वयं कम से कम 50 कृषकों की **Random** स्थलीय जाँच करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ को समाहरणालय, पूर्णियाँ (जिला कृषि कार्यालय) के पत्रांक 783 दिनांक 01.05.2015 एवं फसल क्षति सर्वेक्षण विहित प्रपत्र के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को समाहरणालय, पूर्णियाँ (जिला कृषि कार्यालय) के पत्रांक 783 दिनांक 01.05.2015 एवं फसल क्षति सर्वेक्षण विहित प्रपत्र के साथ निदेशित किया जाता है कि वे स्वयं सर्वेक्षित सूची का 25% कृषकों की **Random** जाँच करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, ए0टी0एम0, बी0टी0एम0 एवं किसान सलाहकार के माध्यम से प्रारंभिक सर्वेक्षित सूची निरीक्षी पदाधिकारी को उपलब्ध करोंगें।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajek.
01/5/15
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ

# जिला - पूर्णियाँ

## असामयिक ओलावृष्टि/अतिवृष्टि एवं चक्रवाती तूफान से हुइ फसल क्षति का पंचायतवार सर्वेक्षण प्रतिवेदन

पंचायत-........................................ प्रखंड- ........................................ (33% से उपर क्षति का रकवा)

सिंचित गेहूँ, मक्का, सब्जी एवं अन्य हेतु अधिकतम 13,500.00 रू0/हे0 न्यूनतम 1,000.00 रू0/हे0

बहुवर्षीय फसल आम, लीची, केला आदि हेतु अधिकतम 18,000.00 रू0/हे0 न्यूनतम 2000.00 रू0/हे0

| क्र0 | किसान का नाम | पिता /पति का नाम | ग्राम | फसल का नाम | अच्छादित रकवा हे0 में | प्रभावित रकवा हे0 में | क्षति पूर्ति की राशि | खाता सं0 | बैक / शाखा का नाम | IFSC. Code | EPIC No (सम्पर्क सं0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

किसान सलाहकार का हस्ताक्षर    कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर    पंचायत सचिव का हस्ताक्षर    प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर    राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर    अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर    अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर